

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान  
भोपाल

क. लेखा/आयकर/2019-20/2662-65

दिनांक : 04/11/2019

//सूचना//

संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनकी वित्तीय वर्ष 2019-20 में वार्षिक आय 2,50,000/- से अधिक है को सूचित किया जाता है कि वे कृपया लेखा अनुभाग से निर्धारित आयकर घोषणा पत्र का प्रपत्र प्राप्त करने के बाद अपने आयकर की गणना कर, आयकर घोषणा पत्र लेखा अनुभाग में दिनांक 15.11.2019 तक प्रातः 11.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें, जिससे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (कर निर्धारण वर्ष 2020-21 ) के आयकर की गणना कर देय आयकर की शेष राशि की कटौती नियमानुसार की जा सके।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के आयकर की गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके आयकर की गणना लेखा शाखा में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाकर आयकर की राशि नवंबर 2019 से कटौती कर ली जावेगी। आयकर घोषणा पत्र के साथ PAN एवं वेतन से कटौती के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बचत की गई है एवं जिसकी छूट ले रहे हैं की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें जिससे आयकर की रिपोर्ट पूर्ण करने में किसी प्रकार की त्रुटी न हों।

प्राधिकार:- निदेशक महोदय की स्वीकृति

दिनांक : 04.11.19



लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सामान्य सूचना पटल।
2. समन्वयक, समस्त विस्तार केन्द्र, पुणे/अहमदाबाद/गोवा/रायपुर।
3. निदेशक के वरि. निजी सहायक।
4. संस्थान की वेबसाईट में सूचनार्थ।